भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4768

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उच्च जन्म दर के लिए नीतिगत उपाय

†4768. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश में उच्च जन्म दर को प्रोत्साहित करने के लिए कोई निवेश या नीतिगत उपाय करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को सहायता देने के लिए प्रस्तावित किसी वित्तीय प्रोत्साहन, कर लाभ या कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों और जन्म दर में गिरावट के दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव का अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मातृ एवं शिशु कल्याण सुनिश्चित करते हुए उच्च प्रजनन दर को बढ़ावा देने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय मॉडल पर विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): भारत ने एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार 2.0 की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) हासिल की है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के साथ सुमेलित है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय माता और बच्चे की सेहत के लिए गर्भधारण के स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर समय और अंतराल के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता प्रदान करके और प्रजनन क्षमता का प्रबंधन करने के लिए राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में राज्यों द्वारा प्रस्तावित बजट को अनुमोदित करके प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाएं नीचे दी गई हैं -

विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्पों में कंडोम, संयुक्त रूप से खाई जानी वाली गर्भनिरोधक गोलियां, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी), नसबंदी, इंजेक्शन योग्य गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा कार्यक्रम), सेंटक्रोमन (छाया) और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां शामिल हैं।

1. **मिशन परिवार विकास** गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए तेरह राज्यों में लागू किया गया।
2. **नसबंदी स्वीकारकर्ताओं के लिए मुआवजा योजना,** नसबंदी के लिए लाभार्थियों को मजदूरी के नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान करती है।
3. **गर्भधारण के बाद के गर्भनिरोधक** पोस्ट-पार्टम इंट्रायूटरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस (पीपीआईयूसीडी), एबॉर्शन इंट्रायूटरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस-(पीएआईयूसीडी), और पोस्ट-पार्टम स्टर्लाइजेशन (पीपीएस) के रूप में लेना।
4. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन और सेवा प्रदायगी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष **'विश्व जनसंख्या दिवस अभियान' और 'पुरुष नसबंदी पखवाड़ा'** मनाया जाता है।
5. आशाकर्मियों द्वारा **गर्भनिरोधक योजना को घर तक पहुंचाना।**
6. स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **परिवार नियोजन रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफपीएलएमआईएस)**।

****